

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, जूनामीठा खेड़ा)

प्रकरण सं.:-50/2018


दिनांक:-01.06.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1063

आदेश

वादी के वाद पत्र व पटवारी जूनामीठा खेड़ा एवं मू.अ.नि.सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम झीन्झणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 21 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	झीन्झणी	21	623	चेना पुत्र मोमता	चेनसिंह पुत्र मोमतसिंह <b>शेष बदुस्तर</b>

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:-01.06.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1064-1066

प्रतिलिपि:-

- 1.तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
- 2.प्रार्थी श्री चेनसिंह पुत्र मोमतसिंह जाति पुरोहित निवासी झीन्झणी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- 3.रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी